

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
(उद्यान प्रभाग)

कार्यालय – जिला उद्यान पदाधिकारी, गढ़वा
(संयुक्त कृषि भवन, गढ़वा प्रथम तल पिपराकला)

आवेदन आमंत्रण सूचना

विभागीय राज्यादेश संख्या 32 दिनांक 01-07-2024 द्वारा स्वीकृत राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य उद्यान विकास योजनान्तर्गत उपयोजना "राज्य बागवानी मिशन गैर कार्यान्वित जिलों में योजना" के तहत गढ़वा जिला के सभी कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि जिला में निम्नांकित रूप से योजना के विभिन्न कार्य अवयवों का कार्यान्वयन किया जाना है। जिसके लिए योजनानुसार अवयववार सरकार द्वारा 50 प्रतिशत एवं अन्य अनुदान देय होगी। उक्त कार्य अवयवों हेतु आवेदन आमंत्रण इच्छुक कृषकों से किया जाता है।

योजना का प्रारूप निम्नवत है :-

क्र. सं.	कार्य विवरणी	इकाई/ हे० की लागत	अनुदान की दर	भौतिक लक्ष्य
			(MIDH के नियमानुसार)	
1	नये फल बाग का क्षेत्र विस्तार (Fruit Crops other than cost intensive crops using normal spacing without Integration)			
(i)	आम (10mx10m)	Rs.25500/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	146 हे०
(ii)	नींबू (4mx4.5m)	Rs.54980/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	13 हे०
(iii)	लीची (10mx10m)	Rs.28000/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	6.5 हे०
(iv)	बैर (5mx5m)	Rs.38000/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	9 हे०
(v)	आंवला (6mx6m)	Rs.40008/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	14.5 हे०
(vi)	बेल (10mx10m)	Rs.48400/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	8 हे०
(vii)	अमरूद (6mx6m)	Rs.38340/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	43 हे०
(viii)	सपोटा (5mx5m)	Rs.45400/Ha.	कृषकों के क्षेत्र में का 50% मात्र का (60:20:20) के अनुपात में प्रथम वर्ष पौध रोपण कार्य हेतु 60% देय है जो अधिकतम 1 हे. प्रति लाभुक लाभ दिया जायेगा।	8 हे०
2	नये बाग का क्षेत्र विस्तार (Establishment of New Gardens/Area expansion)			


(i)	ड्रेगन फुट की खेती (टपक सिंचाई और आच्छादन समेत समेकित पैकेज)	Rs.4.00 lakh/Ha.	ड्रेगन फुट टपक सिंचाई और आच्छादन सहित समेकित पैकेज कुल लागत का 40% (अधिकतम 1 हे०/कृषक)	4 हे०	
(ii)	स्ट्राबेरी की खेती (टपक सिंचाई और आच्छादन समेत समेकित पैकेज)	Rs 2.80 lakh /Ha.	पौध सामग्री, खेत की तैयारी, रोपाई, खरपतवार नियंत्रण एवं निकाई-गुड़ाई, पौधा संरक्षण, गोबर खाद, केंचुआ खाद, रासायनिक खाद एवं टपक सिंचाई तथा प्लास्टिक मल्लिंग हेतु कुल लागत का अधिकतम 40% विभागीय अनुदान का लाभ दिया जायेगा।	23 हे०	
(iii)	अनानास (रसीला) की खेती	Rs 3.00 lakh /Ha.	पौध सामग्री, खेत की तैयारी, रोपाई, खरपतवार नियंत्रण एवं निकाई-गुड़ाई, पौधा संरक्षण, गोबर खाद, केंचुआ खाद, रासायनिक खाद एवं टपक सिंचाई हेतु कुल लागत का अधिकतम 40% विभागीय अनुदान का लाभ दिया जायेगा।	5 हे०	
(iv)	पपीता पौध रोपण (Papaya Integrated package with drip irrigation)	Rs 2.00 lakh /Ha.	पौध सामग्री, आई०एन०एम०/आई०पी०एम० सामग्री, एवं टपक सिंचाई सहित कुल लागत का अधिकतम 40% विभागीय अनुदान का लाभ दिया जायेगा।	13 हे०	
3	फूलों की खेती (Flowers Cultivation)				
(i)	कहड़ पलावर फूलों की खेती	Rs 1.00 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 4 हे०/कृषक)	30 हे०	
(ii)	बलबस फूल की खेती	Rs 1.50 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 2 हे०/कृषक)	21 हे०	
(iii)	लूज पलावर फूलों की खेती	Rs 0.40 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 2 हे०/कृषक)	88 हे०	
4	सुगंधित पौधों की खेती (Aromatic Plants Lemongrass etc.)	Rs 0.40 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 4 हे०/कृषक लाभ देय होगा)	20 हे०	
5	छोटी नर्सरी की स्थापना (Small Nursery)	Rs15.00 lakh /Ha.	उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के फल, फूल पौधों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से MIDH मार्गदर्शिका अनुरूप कृषकों को प्रति इकाई लागत रू० 15.00 लाख मात्र का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान रू० 7.50 लाख मात्र की दर से Credit linked back ended subsidy के माध्यम से किया जायेगा।	02 इकाई	
6	शंकर सब्जी उत्पादन (Hybrid Vegetable Production)	Rs 0.50 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 2 हे०/कृषक लाभ देय होगा)	218.5 हे०	
7	मसाला की खेती (Seed Spices & Rhizomatic Spices - Turmeric/Ginger etc.)	Rs 0.30 lakh /Ha.	कुल लागत का 40% (अधिकतम 4 हे०/कृषक लाभ देय होगा)	59 हे०	
8	पुराने फलबाग का जीर्णोद्धार (Rejuvenation/Replacement of senile plantation, canopy mangement)	Rs 0.40 lakh /Ha.	कुल लागत का 50% अनुदान लाभ देय होगा	5 हे०	
9	संरक्षित खेती (Protected Cultivation)				
(i)	प्लास्टिक मल्लिंग (Plastic Mulching)	Rs 0.32 lakh /Ha.	कुल लागत का 50% अनुदान लाभ देय होगा	11 हे०	

(ii)	शेडनेट ट्यूबलर हाउस का निर्माण (Shede Net House)	Rs.710/Sq.M.	प्रति वर्ग मीटर कुल लागत रू0 710/- मात्र का अधिकतम 50% विभागीय अनुदान प्रति वर्ग मीटर रू0 355/- मात्र (प्रति कृषक अधिकतम 1000 sq.m.देय होगा)	9000 वर्ग मीटर	
(iii)	पौध सामाग्री पर व्यय एवं कारनेशन/जर्वेरा का पॉली हाउस/शेडनेट में उत्पादन (Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera under poly house/shadenet house)	Rs.610/Sq.M.	प्रति वर्ग मीटर कुल लागत रू0 610/- मात्र का अधिकतम 50% विभागीय अनुदान प्रति वर्ग मीटर रू0 305/- मात्र (प्रति कृषक अधिकतम 4000 sq.m.देय होगा)	9000 वर्ग मीटर	
(iv)	एण्टी बर्ड एण्टी हेल (Anti Bird/ Anti Hell)	Rs.35/Sq.M.	उद्यानिकी फसलों का ओलावृष्टि एवं चिड़ियों के प्रकोप से बचाव तथा उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि एवं सब्जियों की खेती की सुरक्षा हेतु एण्टी बर्ड एवं एण्टी हेल का प्रयोग प्रति वर्ग मीटर कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (प्रति कृषक अधिकतम 5000 वर्ग मीटर देय होगा)	41 हे०	
10	वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना (Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera under poly house/shadenet house)	Rs.0.16 lakh/unit	पोर्टेबल एच०डी०पी०ई० वर्मीबेड साईज 12'x4'x2'=96 घनफीट बी०आई०एस० मानक (आई०एस०-15907:2010) प्रति इकाई लागत का अधिकतम 50% अनुदान का लाभ दिया जायेगा।	227 इकाई	
11	अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के जरिये तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं प्रत्यक्षण (Technology Dissemination through demonstration front line demonstration)	Rs.25.00 lakh/unit	कृषकों के आय में वृद्धि को दृष्टिपथ रखते हुए कृषकों के 5 एकड़ निजी भूमि पर उन्नत फल फुल एवं सब्जियों के उत्पादन तथा ऑन फार्म सब्जियों के अल्पकालिक भण्डारण हेतु सौर उर्जा चालित शीतल कक्ष 5-6 एम०टी० क्षमता का निर्माण, सौर उर्जा चालित सिंचाई संसाधन डीप बोरिंगयुक्त की स्थापना प्रति इकाई कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान एवं कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यकारी संस्था को देना अनिवार्य होगा।	02 इकाई	
12	मानव संसाधन का विकास (Human Resource Development- HRD)				
(i)	कृषकों को राज्य अन्तर्गत प्रशिक्षण (Training of Farmers Outside the State)	Rs 1000/Farmer	उद्यानिकी फसलों को बढ़वा देने हेतु उन्नत एवं नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत अनुदान पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा	100 सं०	
(ii)	कृषकों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण (Training of Farmers within the State)	Rs 13500/Farmer	उद्यानिकी फसलों की उन्नत एवं नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत अनुदान पर राज्य से बाहर परियोजना आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा	20 सं०	
(iii)	कृषकों को अन्तर राज्य परिभ्रमण (Exposurce visit of farmers Outside State)	Rs 13500/Farmer	उद्यानिकी फसलों की उन्नत किस्म एवं नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत अनुदान पर राज्य से बाहर परियोजना आधारित प्रभावन दौरा कराया जायेगा	10 सं०	

उपरोक्त योजना हेतु इच्छुक कृषक/किसान प्रखण्ड स्तर पर उद्यान मित्र/बी0टी0एम0/ए0टी0एम0 एवं जिला उद्यान कार्यालय, गढ़वा से आवेदन पत्र निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं एवं नीचे वर्णित कागजातों के साथ कार्यालय अवधि में दिनांक **27.07.2024** तक जमा कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात आवेदन जमा नहीं लिया जाएगा।

आवेदन करने हेतु निम्न विवरणी एवं कागजात की सूची।

1. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटों।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. अद्यतन भू-लगान रसीद।
4. क्रमांक 9 (II) एवं क्रमांक 11 हेतु उपलब्ध जमीन का कागजात के संदर्भ में मुखिया से प्राप्त वंशावली एवं अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा तथा कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माण स्थल/भू-खण्ड का अद्यतन Geo Tagging फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. उपर वर्णित क्रमांक 1 से 11 तक की योजनाओं में से किसी एक योजना के लिए ही कृषक आवेदन कर सकते हैं।
6. आवेदन पत्र में मुखिया/जन प्रतिनिधि एवं संबंधित प्रखण्ड के बी.टी.एम/ए.टी.एम./उद्यान मित्र का अनुशांसा अनिवार्य होगा।
7. आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए अधूरा भरा हुआ आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
8. लाभुकों के चयन में दोहरीकरण नहीं करते हुए नये ग्राम/पंचायतों के नये कृषकों का चयन किया जाएगा।
9. पूर्व के लाभुकों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।


जिला उद्यान पदाधिकारी,
गढ़वा।